संख्या–532/2019/522/26–2–2019

प्रेषक,

धीरज कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 14 मई, 2019

विषयः–वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आवेदन–पत्र, स्वीकृति एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश में आंशिक संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–1740/स0क0/एन0एस0ए0पी0/शासनादेश–संशोधन/2018–19, दिनांक 06.03.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– शासन के पत्रांक–09/2018/794/26–2–2018/100(02)/2007, दिनांक 16.05.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से पूर्व में शासनादेश संख्या–3/2016/579/26–2–2016–100(02)/2007, दिनांक 29.02.2016 द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन–पत्र, स्वीकृति एवं वितरण इण्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा किये जाने के संबंध में दिशा–निदेश में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराया गया था। तत्क्रम में शासनादेश दिनांक 16.05.2018 के पैरा–4(1)ix एवं पैरा–4(1)i में वर्तमान में प्रचलित संशोधन व्यवस्था किए जाने वाले आंशिक संशोधन का प्रस्ताव क्रमशः निम्नवत् है :–

वर्तमान व्यवस्था	**वर्तमान व्यवस्था में संशोधन (वृद्धावस्था पेंशन हेतु)**
4(1) ix- सम्बन्धित आवेदक द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आनलाईन आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड करके उस पर यथास्थान हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा बनाकर सभी आवश्यक संलग्नकों यथा आय–प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र एवं बैंक खाता सम्बन्धी प्रपत्र की हार्ड कापी पर भी पुष्टि स्वरूप अपने हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा लगाकर आवेदन की हार्ड कापी शहरी क्षेत्र के आवेदक सम्बन्धित उप जिलाधिकारी कार्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में विलम्बतम आनलाईन आवेदन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अनिवार्यतः जमा	आवेदक द्वारा हार्डकापी जमा किए जाने की आवश्यकता समाप्त की जाती है, परन्तु आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय आवश्यक संलग्नकों यथा– **आय प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, फोटो, पहचान पत्र एवं पासबुक की फोटो कापी एवं आधार कार्ड** अपलोड करना अनिवार्य होगा। **आधार कार्ड** को संलग्न करना अनिवार्य होगा।

253/GO.Khanna

किया जायगा तथा सम्बन्धित कार्यालय से निर्धारित प्रारूप पर ''कम्प्यूटर–जनरेटेड'' प्राप्ति रसीद प्राप्त की जायेगी।	
4(2) i- वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत आनलाईन आवेदन के पश्चात आवेदक के आवेदन की हार्डकापी ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में एवं शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा कर कम्प्यूटर जनरेटेड प्राप्ति रसीद प्राप्त करेगा, तत्पश्चात् सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी आवेदन की हार्ड कापी से आनलाईन भरे गये आवेदन पत्र के डेटा का मिलान करने के पश्चात सही पाये जाने पर उसका सत्यापन करते हुए उसकी पात्रता/अपात्रता के संबंध में स्पष्ट संस्तुति करते हुए उसे जिला समाज कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर फॉरवर्ड करेगा, साथ ही उक्त आवेदन की हार्ड कापी भी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेगा।	योजनान्तर्गत लाभार्थी द्वारा किये गये आनलाईन आवेदन क्रमशः उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के लॉगिन पर सत्यापन हेतु प्रदर्शित होगा। तदोपरान्त उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी आनलाईन किये गये आवेदन पत्र की प्रति अपने लॉगिन से डाउनलोड कर सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सत्यापन कार्य अनिवार्यतः **एक सप्ताह** में करते हुए उसकी पात्रता/अपात्रता के संबंध में स्पष्ट संस्तुति करते हुए उसे जिला समाज कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर फारवर्ड करेगा तथा उक्त आवेदन की हार्डकापी भी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को अग्रसारित करेगा।

3– उक्तानुसार संशोधनोपरान्त शासनादेश संख्या–3/2016/579/26–2–2016–100(02)/2007, दिनांक 29.02.2016 की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(धीरज कुमार)
विशेष सचिव